न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – संजय गोयल आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र सं0:– 31/2018

राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री शिवचरण जाति जाट निवासी कूम्हां तहसील व जिला भरतपुर (राज.)।

परिवादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भरतपुर (राज.)।

असल अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :–10.02.2020

प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.03.2019 को यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय के साथ पेश किया कि आ0ख0नं0 पुराना 707 नया नम्बर 475/1 रकबा 20 ऐयर बाके ग्राम कूम्हां तहसील व जिला भरतपुर का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। सबूत में जमाबन्दी नकल हाल पेश है। हाल आ.ख.नं. 475/1 मालिक खसरा नम्बर 707 रकबा 40 ऐयर से निर्मित हुआ है। दौराने सैटिलमेंट विभाग आ.ख.नं. 475/1 जमाबन्दी में रकबा 20 ऐयर सही दर्ज किया है लेकिन नवीन नक्शे में पैमाइश सही नहीं दर्शायी गयी है। जबकि पुराने नक्शे में पैमाइश सही दर्ज करायी

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

गयी है। आ.ख.नं. 475/1 रकबा 20 ऐयर के पुराने नक्शे के मुताबिक संशोधन किया जाना आवश्यक है। विभाग द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर की नवीन नक्शे में पैमाइश कम कर दी गई है जो कि मुताबिक पुराने रिकार्ड होनी चाहिये। सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा सहवन हुई नक्शे में त्रुटि को संशोधन किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार महोदय को रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र प्रेषित कर त्रुटिपूर्ण नक्शे को पुराने रिकार्ड में नक्शे के मुताबिक संशोधन किये जाने का निवेदन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके बाद पुनः स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार भरतपुर ने संबंधित पटवारी को रिकार्ड प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये। पटवारी ने रिकार्ड प्रस्तुत कर यह स्वीकार किया कि प्रार्थी के नवीन नक्शे में साढे तीन ऐयर पैमाइश कम दर्शायी हुयी है। लेकिन इसकी दुरुस्ती करने से इन्कार कर दिया तथा प्रार्थी को बताया कि उक्त दुरुस्ती न्यायालय के आदेश के द्वारा ही किया जाना सम्भव है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भरतपुर को आदेश दिया जावे कि वो साविक खसरा नम्बर 707 रकबा 40 ऐयर से निर्मित हाल खसरा नम्बरान 475 रकबा 20 ऐयर एवं 475/1 रकबा 20 ऐयर के नवीन त्रुटिपूर्ण नक्शे को पुराने रिकार्ड के नक्शे की पैमाइश के आधार पर संशोधन कर रिकार्ड में दर्ज करें।

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलवी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भरतपुर ने जबाव प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2019 को पेश कर निवेदन किया कि भू.प्रबन्ध विभाग के नियमानुसार हाल नक्शे में पैमाइश दर्ज नहीं की जाती है। हाल नक्शा पूर्वानुसार सही है। वादी द्वारा नक्शा की दुरूस्ती किस तरफ किस खसरा नम्बर में से की जानी है। वादपत्र में वादी द्वारा नहीं बताया है। अतः दावा प्राथमिक स्तर पर खारिज योग्य है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल संख्या 2071–74, नकल नक्शा गत एवं हाल, मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भरतपुर की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गत आ.ख.नं. 707 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा से हाल आ.ख.नं. 475/0.40 है. बनाया है गया है। नकल जमाबन्दी हाल संख्या 2071–75 के मुताबिक ख.नं. 475/0.40 है. का बंटवारा होकर प्रार्थी के खातेदारी में आ.ख.नं. 475/1/0.20 है. दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के कथनानुसार आ.ख.नं. 475/0.20 है. जमाबन्दी में रकबा 20 ऐयर सही दर्ज है। लेकिन नक्शा में पैमाइश सही नहीं दर्शायी गई है। जबकि पुराने नक्शा में पैमाइश सही दर्ज की गई है। पत्रावली में संलग्न नकल नक्शा गत एवं हाल का अवलोकन किया गया। भू.प्रबन्ध

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

विभाग ने हाल नक्शा बनाते हुये उसमें अन्तर कर दिया गया है। इसलिये गत नक्शा के अनुसार हाल नक्शा में दुरूस्ती कराया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आ.ख.नं. 475/1/0.20 है. बाके ग्राम कूम्हां तहसील भरतपुर के हाल नक्शा में गत नक्शा के अनुसार संशोधन किया जावे। कैफियत पालना हेतु तहसीलदार भरतपुर को भिजवाई जावे।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 10 फरवरी 2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर